न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 691/10 अन्तर्गत धारा 86 Rt Act 1955

अनवान :–

प्रार्थीगण :– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. लक्ष्मणराम पुत्र मिसरीराम फौत के का.मु.:–
पुनीदेवी पत्नि लक्ष्मणराम वगैरा।
जाति मेगवाल, निवासी समेलों का तला
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

वकील प्रार्थीगण :– पैराकार सरकार

निर्णय

दिनांक 21.06.18

आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार द्वारा न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 86 रा.का.अ. 1955 प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा मौजा समेलों का तला में सरकारी भूमि पर अनाधिकृत बिना अनुज्ञा के हरे रोहिड़े के वृक्षों की कटाई की गई। अप्रार्थी सरकारी भूमि पर बिना वैध स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त किये रोहिड़े के निम्न वृक्ष कटवाये :–

1.लम्बाई 4x1½ फीट

2.लम्बाई 6 फीट मोटाई 1½ फीट

3.लम्बाई 5 फीट मोटाई 1½ फीट

4.लम्बाई 5 फीट मोटाई 1½ फीट

5.लम्बाई 6 फीट मोटाई 1½ फीट

पटवारी हल्का नवातला जेतमाल द्वारा दिनांक 20.11.2009 के उक्त काटी गयी लकड़ियों को रूबरू मोतबरान के जब्त सरकार किया। जिसकी फर्द जब्ती पेश की

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

गई। काटे गये रोहिडे की सुपुर्दगी श्री राउराम पटवारी नवातला जेतमाल की अभिरक्षा में है। जिसकी अनुमानित कीमत 500/- रूपये होना बताया गया है,

अप्रार्थी द्वारा इन हरे वृक्षों की कटाई अवैध धन्धा कर बेचने की नीयत से किया जाना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे । अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी के विरूद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही की जावे। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा फर्द मौका, सुपुर्दगी फर्द, नकल खतौनी मय नक्शा पेश किये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत / कोर्ट कैम्प नवातला जेतमाल में पेश हुई । प्रार्थी ने उपस्थित होकर अप्रार्थी लक्ष्मणराम की फोतगी की सूचना व का.मु. की सूची पेश की । प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों का अवलोकन अध्ययन किया तथा प्रार्थी की बहस पर मनन किया । प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि शंकरलाल पुत्र केवाराम जाति मेघवाल निवासी समेलों का तला ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर रोहिड़ा के हरे वृक्ष काटने की शिकायत की जिस पर पटवारी नवातला जेतमाल द्वारा मौके पर जाकर शिकायत का सत्यापन किया तथा मौका फर्द तैयार की, मौके पर पूछताछ से स्पष्ट हुआ कि रोहिड़े की लकड़ी अप्रार्थी लक्ष्मणराम पुत्र मिसरीराम द्वारा अपने घर पर लाई गई। जिसको उसके घर से उसके भाई रामचन्द एवं रवि पि.मिसरीराम कौम मेघवाल एवं मौतबरान हरचन्द पुत्र बदरा कौम मेघवाल के रूबरू बरामद कर जब्त की गई। लकड़ियों की माप सहित जब्ती फर्द तैयार की जिस पर मौके पर उपस्थित लोगों ने दस्तखत किये। जब्त की गई लकड़ी श्री राउराम, पटवारी नवातला जेतमाल की अभिरक्षा में है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि बिना किसी अनुज्ञा पत्र के अप्रार्थी द्वारा रोहिड़े के हरे वृक्षों की कटाई की गई है जो रा.का.अ. की धारा 83 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, धारा 86 के तहत शास्ती का दायी है, अतः आज्ञा है

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

कि अप्रार्थी द्वारा बिना अनुज्ञा के काटे गये रोहिड़े के वृक्षों के लिए अप्रार्थी पर 500 रूपये शास्ती आरोपित की जाती है तथा जब्त की गई लकड़ी को खुली नीलामी में बिक्री की जाकर रकम राजकोष में जमा कर अनुपालना रिपोर्ट पेश करे।

अप्रार्थी द्वारा आरोपित की गई शास्ती रूपये 500/- कोर्ट कैम्प में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष नकद तहसीलदार को सुपुर्द किये गये।

निर्णय की पालना अपील की अवधि 30 दिवस गुजरने के बाद तहसीलदार द्वारा की जाकर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करावे।

निर्णय आज दिनांक 21.06.02.18 को लोक अदालत/कोर्ट कैम्प नवातला जेतमाल लिखवाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

सहायक कलक्टर चौहटन

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन